भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1563
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष आपदा प्रबंधन नीति

†1563. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्राः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों और वायनाड तथा दार्जिलिंग जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक विशेष आपदा प्रबंधन नीति तैयार करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने पहाड़ी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति को कम करने के लिए शमन उपाय किए हैं;
(ग) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित गंभीर प्रकृति की आपदाओं से प्रभावित राज्यों में आपदा-पश्चात आवश्यकता आकलन का ब्यौरा क्या है;
(घ) केंद्र द्वारा वर्ष 2020 से गंभीर प्रकृति की आपदाओं से प्रभावित राज्यों को जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार को गंभीर प्रकृति की आपदाओं से प्रभावित राज्यों से अतिरिक्त धनराशि के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): सरकार ने वर्ष 2009 में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) तैयार की है ताकि रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया की संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, व्यावहारिक, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी-संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा-रोधी भारत का निर्माण किया जा सके। यह एक अखिल भारतीय नीति है और इसमें पर्वतीय राज्य और पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल हैं।

एनपीडीएम में आपदा प्रबंधन के सभी घटक, जिनमें रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और रिकवरी, शामिल हैं। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मार्च 2025 में यथा संशोधित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर एक कानूनी और संस्थागत ढांचा पहले ही तैयार किया जा चुका है।

इसके अलावा, माननीय प्रधानमंत्री ने जून 2016 में देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) का शुभारंभ किया था। वर्ष 2019 में सभी स्टेकहोल्डरों के परामर्श से इस योजना को संशोधित और अद्यतन किया गया था। संशोधित एनडीएमपी सभी सेक्टरों, केंद्र और राज्य स्तर के मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाती है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है।

इसके अलावा, एनपीडीएम के अनुसार, प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और जमीनी स्तर पर शमन उपाय करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार वित्तीय और लॉजिस्टिक संबंधी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों की सहायता करती है। पहाड़ी राज्यों के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) और राज्य आपदा मोचन बलों (एसडीआरएफ) को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) द्वारा उनकी आपदा प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से सहायता दी जाती है।

हालांकि, सरकार ने पहाड़ी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से निम्नलिखित शमन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है, जो पहाड़ी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करेगी:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय	उद्देश्य	शामिल राज्य/क्षेत्र
1.	भूस्खलन जोखिम शमन कार्यक्रम	1000 करोड़ रुपये	भूस्खलन के प्रति समुदायों और उनकी संपत्तियों की असुरक्षा को कम करके मृत्यु दर और आर्थिक नुकसान को कम करना	10 पूर्वोत्तर एवं हिमालयी (एनईएच) राज्यों के साथ-साथ 5 भूस्खलन संभावित राज्य अर्थात महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल।

2.	ग्लेशियल झील विस्फोट (आउटबर्स्ट) बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम शमन कार्यक्रम	150 करोड़ रुपये	जीएलओएफ के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक शमन उपायों को अपनाना	4 हिमालयी राज्य, अर्थात्, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश
3.	जंगल की आग जोखिम प्रबंधन योजना	819 करोड़ रुपये	जंगल की आग जोखिम प्रबंधन के लिए	19 राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड) के जंगल की आग संभावित 144 जिले

(ग): गंभीर प्रकृति की आपदाओं से प्रभावित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में किए गए आपदा पश्चात आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(घ): वर्ष 2020 से, गंभीर प्रकृति की आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से केंद्र सरकार द्वारा जारी धनराशि का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ङ): वर्ष 2025-26 के दौरान, केंद्र सरकार ने 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, नागालैंड, गुजरात, कर्नाटक तथा जम्मू और कश्मीर में आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमें (आईएमसीटी) तैनात की गई हैं। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार एनडीआरएफ से धनराशि जारी करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाती है।

*****

(लोक सभा अता. प्र. सं. 1563, दिनांक 09.12.2025)

अनुलग्नक-।

राज्यों में आयोजित पीडीएनए का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आपदा	उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा अनुमोदित राशि	स्वीकृत राशि का केंद्रीय हिस्सा	एनडीआरएफ की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण विंडो से अब तक जारी राशि
1.	हिमाचल प्रदेश	भूस्खलन और बाढ़ 2023	2006.40	1504.80	451.44
2.	उत्तराखंड	जोशीमठ भूमि का धंसाव	1658.17	1079.96	291.15
3.	असम	बाढ़ 2022	1270.78	1016.63	304.99
4.	केरल	वायनाड भूस्खलन 2024	260.56	260.56	78.17
5.	सिक्किम	ग्लेशियल झील विस्फोट (आउटबर्स्ट) बाढ़ (जीएलओएफ) 2023	555.70	253.84	76.15

(लोक सभा अता. प्र. सं. 1563, दिनांक 09.12.2025)

अनुलग्नक-।।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान एनडीआरएफ से राज्य सरकारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का आपदा-वार विवरण।

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	**राज्य**	**आपदा**	**एचएलसी द्वारा अनुमोदित राशि**	**एनडीआरएफ से जारी राशि**
2020-21				
1.	ओडिशा	चक्रवात अम्फान	128.23	500.00 (खाते के आधार पर अग्रिम)
2.	ओडिशा	बाढ़	320.94	
3.	पश्चिम बंगाल	चक्रवात अम्फान	2707.77	2250.28
4.	महाराष्ट्र	चक्रवात निसर्ग	268.59	268.59
5.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	577.84	577.84
6.	मध्य प्रदेश	बाढ़	611.61	611.61
7.	सिक्किम	बाढ़/भूस्खलन	87.84	73.86
8.	असम	बाढ़/भूस्खलन	437.15	44.37
9.	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़/भूस्खलन	75.86	59.34
10.	तेलंगाना	बाढ़	245.96	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	बाढ़	386.06	0.00
12.	आंध्र प्रदेश	बाढ़	280.78	233.49
13.	बिहार	बाढ़	1255.27	1255.27

(लोक सभा अता. प्र. सं. 1563, दिनांक 09.12.2025)

क्र. सं.	**राज्य**	**आपदा**	**एचएलसी द्वारा अनुमोदित राशि**	**एनडीआरएफ से जारी राशि**
14.	तमिलनाडु	चक्रवात निवार	63.14	63.14
15.	तमिलनाडु	चक्रवात बुरेवी	223.77	223.77
16.	तमिलनाडु	बाढ़	213.51	213.51
17.	आंध्र प्रदेश	चक्रवात निवार	423.58	423.58
18.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़/भूस्खलन/बादल फटना	121.17	0.00
19.	कर्नाटक	बाढ़	740.46	740.46
20.	महाराष्ट्र	बाढ़	151.53	151.53
21.	महाराष्ट्र	बाढ़	701.00	701.00
2021-22				
1.	गोवा	चक्रवात तौकते	0.00	0.00
2.	गुजरात	चक्रवात तौकते	1133.35	1000.00 (खाते के आधार पर अग्रिम)
3.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	504.06	504.06
4.	मध्य प्रदेश	बाढ़	600.50	600.50
5.	असम	बाढ़/भूस्खलन	51.53	0.00
6.	उत्तराखंड	बाढ़/भूस्खलन	187.18	0.00
7.	पश्चिम बंगाल	चक्रवात यास	586.59	350.13
8.	पश्चिम बंगाल	बाढ़/भूस्खलन	475.04	
9.	तमिलनाडु	बाढ़	352.85	352.85

(लोक सभा अता. प्र. सं. 1563, दिनांक 09.12.2025)

क्र. सं.	**राज्य**	**आपदा**	**एचएलसी द्वारा अनुमोदित राशि**	**एनडीआरएफ से जारी राशि**
10.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़/भूस्खलन/बादल फटना	112.19	0.00
11.	महाराष्ट्र	बाढ़/भूस्खलन	355.39	355.39
12.	आंध्र प्रदेश	बाढ़	351.43	351.43
13.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	492.39	492.39
14.	बिहार	बाढ़	1038.96	1038.96
15.	राजस्थान	बाढ़	292.51	13.46
16.	सिक्किम	बाढ़/भूस्खलन	59.35	55.23
17.	ओडिशा	चक्रवात यास	-	500.00 (खाते के आधार पर अग्रिम)
2022-23				
1.	असम	बाढ़/भूस्खलन	520.47	160.94
2.	गुजरात	बाढ़	82.53	0.00
3.	कर्नाटक	बाढ़/भूस्खलन	941.04	939.83
4.	मेघालय	अचानक बाढ़/बाढ़/भूस्खलन	47.33	0.00
5.	नागालैंड	अचानक बाढ़/बाढ़/भूस्खलन	68.02	68.02
6.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़, भूस्खलन और बादल फटना	239.31	214.26
7.	आंध्र प्रदेश	बाढ़	142.92	0.00
8.	महाराष्ट्र	बाढ़/भूस्खलन	577.50	0.00
9.	सिक्किम	बाढ़	47.43	46.89
2023-24				

(लोक सभा अता. प्र. सं. 1563, दिनांक 09.12.2025)

1.	गुजरात	चक्रवात बिपरजॉय	338.24	0.00
2.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन	633.73	597.98
3.	आंध्र प्रदेश	चक्रवात मिचौंग	366.42	0.00
4.	असम	बाढ़, भूस्खलन	73.98	0.00
5.	सिक्किम	बाढ़, अचानक बाढ़, भूस्खलन	245.47	240.45
6.	तमिलनाडु	चक्रवात मिचौंग	285.54	276.10
7.	तमिलनाडु	बाढ़	397.13	
2024-25				
1	बिहार	बाढ़	588.73	0
2	तमिलनाडु	चक्रवात "फेंगल"	522.34	522.34
3	आंध्र प्रदेश	बाढ़	608.08	0.00
4	केरल	भूस्खलन	153.47	0.00
5	त्रिपुरा	अचानक बाढ़, भूस्खलन	288.93	174.97
6	नागालैंड	अचानक बाढ़, बाढ़, भूस्खलन	170.99	0.00
7	ओडिशा	चक्रवात "दाना"	255.24	0.00
8	मिजोरम	चक्रवात "रेमल"	64.14	7.56
9	तेलंगाना	बाढ़	231.75	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	अचानक बाढ़, बाढ़, बादल फटना	136.22	107.15

****